मुण्डावर (खैरथल

15/10/25 - आज पत्रावली पेश हुई वकील पक्ष०
उपस्थित आये वकील उभयपक्ष की बहस
अंतीम सुनी गई। वादी का वाद स्वीकार
योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है
विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० मि०
है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम
हो बाद तकमील मिसल लेख भण्डार हो।
सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फा०ट्र०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, (खैरथल–तिजारा)

पीठासीन अधिकारी – सृष्टि जैन (R.A.S)

दावा संख्या	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
207/23	10/10/23	15/10/25

//उनवान//

1. फतेहसिंह
2. निहालसिंह पुत्रान श्री ख्यालीराम
3. भूतेरी देवी पत्नी ख्यालीराम
4. सुशीला
5. सुनिल
6. अनिला पुत्रीयान ख्यालीराम जातियान जाट निवासीयान नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0।

:– वादीगण

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान।

:– असल प्रतिवादी

2. मतादीन
3. जीतराम पुत्रान श्री छीतर
4. छीपक पुत्र श्री बलबीर पौत्र रामकिशोर
5. ब्रह्मा देवी पत्नि बलबीर
6. बिमला पत्नि जलेसिंह
7. कमल पुत्र श्री जलेसिंह पौत्र रामकिशोर
8. राजेश
9. दीपक पुत्रान श्री होशियार
10. रतिराम पुत्र श्री चिरंजीलाल
11. धर्मपाल
12. राजपाल पुत्रान श्री हरिसिंह
13. धूंधा देवी पत्नि हरिसिंह जातियान जाट निवासीयान नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान।

–: तरप्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज– अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–वकील वादी श्री रणवीरसिंह एवं श्री धर्मेन्द्र यादव वकील प्रतिवादीगण।

निर्णय दिनांक :– 15/10/2025

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपस्थित वादीगण के वाद का सारतः निम्न प्रकार रहा:–

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

1. यह है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 825/0.59 है0, वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा में स्थित है। जो आराजी उक्त वाद में विवादित आराजी कहलायेगी।
2. यह है कि आराजी मुतनाजा वादीगण के पिता ख्यालीराम के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हो रहा है एवं शिकमी के रूप में तरप्रतिवादी के पिता, दादा व ससुर के नाम का इन्द्राज हो रहा है वादीगण के पिता फौत हो चुके है एवं तरप्रतिवादी छीतर फौत हो चुके है।
3. यह है कि आराजी मुतनाजा पर वादीगण के पिता कदीमी खातेदार काबिज काश्तकार रहे है और उनकी फौतगी के बाद आराजी वादीगण को अपने पिता से जरिये विरासत प्राप्त हुई है।
4. यह है कि आराजी मुतनाजा पर वादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है मौके पर वादीगण आराजी मुतनाजा भौतिक कब्जे में है और आराजी पर बदस्तूर व निरन्तर काश्त कर रहे हे।
5. यह है कि ग्राम नंगली औझा की आराजीयात के इन्द्राजात बेजा तौर पर साधारण किये गये है आराजी मुतनाजा पर भी इसी प्रकार मौके के खिलाफ इन्द्राजात किये गये और अभी तक चले आ रहे है राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे इन्द्राजात बेजा व खिलाफ मौका व खिलाफ कानून है।
6. यह है कि वादीगण व वादीगण के पूर्वज काश्तकार रहे है और परिवार का जीविकोपार्जन का स्त्रोत भी कृषि कार्य ही रहा है वादीगण के पूर्वज खेती बाड़ी से ही परिवार का भरण पोषण करते आये है एवं आज के दिन वादीगण भी कृषि कार्य से घर गृहस्थ चला रहे है। वादीगण व वादीगण के पूर्वजो के पास आय का अन्य कोई साधन नहींह था ना ही आज के दिन है। वादीगण खुदकाश्त के मालिक व काश्तकार रहे है वादीगण या वादीगण के पूर्वजो ने कभी काश्त के लिये नहीं दी ना ही कभी प्रतिवादी ने कभी आराजी मुतनाजा पर वीगण की इच्छा के खिलाफ काश्त की है।
7. यह है कि आराजी कि आराजी मुतनाजा वादीगण के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी है जिससे तरप्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है तरप्रतिवादीगण ने आराजी पर कभी काश्त नहीं की तरप्रतिवादीगण के पूर्वज का नाम बेजा तौर पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो रहा है जिससे वादीगण को आराजी के सुविधाजनक उपयोग, उपभोग, विक्रय, विनिमय आदि में बाधा पैदा हो रही है।
8. यह है कि दिनांक 01.09.2023 को असल प्रतिवादी संख्या 1 ने मिन वादीगण के राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करने से मना कर दिया बस यही तारीख बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर दावा अन्दर मियाद पेश है।
9. यह है कि उक्त वाद में असल प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ दावा दायरी से पूर्व दो माह का नोटिस देना आवश्यक था लेकिन दावा अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण नोटिस अभाव में ही दावा दायर किया जा रहा है प्रार्थना–पत्र 80(2) जाप्ता दीवानी अलग से संलग्न वाद है।
10. यह है कि उक्त विवादित आराजी वाके ग्राम नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान में स्थित है। जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है, सुनने योग्य है।
11. यह है कि दावा हाजा पर दो रूपये कोर्ट फीस चस्पा है।
12. अतः वाद वादीगण विरूद्ध असल प्रतिवादीगण डिक्री निम्न प्रकार फरमाई जावे।

(अ) यह है कि वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्ध असल प्रतिवादी एवं तरप्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि आराजी हाल खसरा नम्बर 825 रकबा 0.59 हैक्ट0 वाके ग्राम नंगलीऔझा तहसील मुण्डावर के वादीगण को सम्भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में छीतर पुत्र श्री मोहन जाट का नाम शिकमी के रूप में हो रहे इन्द्राज को एवं मृतक पिता ख्याली का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण के नाम सम्भाग में अमल दरामद किये जाने के आदेश फरमाये जाने बाबत निवेदन रहा।

S

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

(ब) अन्य दीगर दादरसी जोबनजदीक अदालत हो बख्शी जावे।

प्रकरण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 88, 89 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विधिवत तलबी करवाई गई। तरप्रतिवादी संख्या 2 लगायत 13 की तरफ से ईकबाल जवाब दावा पेश किया गया एवं जवाब ईकबाल में तरप्रतिवादीगण द्वारा वादी का वाद डिक्री किया जाने बाबत हम तरप्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं होगा बाबत निवेदन किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार मुण्डावर से रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार क्रमांक/भू.अ./2025/8598 दिनांक 09.10.2025 में आराजी खसरा नम्बर 825 वाके ग्राम नंगलीऔझा पर वादीगण फतेहसिंह पुत्र ख्यालीराम, निहालसिंह पुत्र ख्यालीराम , सुशीला पुत्री ख्यालीराम, सुनिला पुत्री ख्यालीराम, अनिला पुत्री ख्यालीराम जाति जाट निवासीयान नंगलीऔझा के द्वारा काश्त कार्य किया जा रहा है

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में गवाह शपथ–पत्र पीडब्लयू–1 फतेहसिंह पुत्र ख्यालीराम , पीडब्लयू–2 मुकेश पुत्र दुलीचन्द, पीडब्लयू–3 धर्मसिंह पुत्र जग्गल साक्ष्य स्वरूप पेश किये एवं नकल जमाबंदी सम्वत 2071–74 आराजी खसरा नम्बर 825 वाके ग्राम नंगलीऔझा पेश कि है शामिल पत्रावली है।

वकीलवादी एवं प्रतिवादी की बहस अन्तिम सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए अभिकथन किया वादीगण व वादीगण के पूर्वज काश्तकार रहे है और परिवार का जीविकोपार्जन का स्त्रोत भी कृषि कार्य ही रहा है वादीगण के पूर्वज खेती बाड़ी से ही परिवार का भरण पोषण करते आये है एवं आज के दिन वादीगण भी कृषि कार्य से घर गृहस्थ चला रहे है। वादीगण व वादीगण के पूर्वजो के पास आय का अन्य कोई साधन नहीं था ना ही आज के दिन है। वादीगण खुदकाश्त के मालिक व काश्तकार रहे है वादीगण या वादीगण के पूर्वजो ने कभी काश्त के लिये नहीं दी ना ही कभी प्रतिवादी ने कभी आराजी मुतनाजा पर वादीगण की इच्छा के खिलाफ काश्त की है।आराजी मुतनाजा वादीगण के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी है जिससे तरप्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है तरप्रतिवादीगण ने आराजी पर कभी काश्त नहीं की तरप्रतिवादीगण के पूर्वज का नाम बेजा तौर पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो रहा है जिससे वादीगण को आराजी के सुविधाजनक उपयोग, उपभोग, विक्रय, विनिमय आदि में बाधा पैदा हो रही है।वाद बहक वादीगण विरूद्ध असल प्रतिवादी एवं तरप्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि आराजी हाल खसरा नम्बर 825 रकबा 0.59 हैक्ट0 वाके ग्राम नंगलीऔझा तहसील मुण्डावर के वादीगण को सम्भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में छीतर पुत्र श्री मोहन जाट का नाम शिकमी के रूप में हो रहे इन्द्राज को एवं मृतक पिता ख्याली का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण के नाम सम्भाग में अमल दरामद किये जाने के आदेश फरमाये जाने बाबत निवेदन तथा वकील प्रतिवादीगण द्वारा जवाब ईकबाल में वादी का वाद डिक्री किया जाने बाबत हम तरप्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं होगा बाबत निवेदन किया गया।

वकील वादीगण एवं तरप्रतिवादीगण की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार का गहनता से अवलोकन किये जाने एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद न्यायालय स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने पर वादीगण की हाल आराजी खसरा नम्बर 825 रकबा 0.59 हैक्0 वाके ग्राम नंगली औझा के हाल राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे अंकन "**ख्याली पुत्र चेतराम जाट एवं अ.विव. छितर पुत्र मोहन जाट सा.देह शिकमी साल 17/2 को कलमजन किया जाकर वादीगण को सम्भाग खातेदार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।** तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **15.10.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर मुण्डावर
(खैरथल–तिजारा)

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, (खैरथल–तिजारा)

पीठासीन अधिकारी – सृष्टि जैन (R.A.S)

दावा संख्या	रजु दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
207 / 23	10 / 10 / 23	15 / 10 / 25

// उनवान //

1. फतेहसिंह
2. निहालसिंह पुत्रान श्री ख्यालीराम
3. भूतेरी देवी पत्नी ख्यालीराम
4. सुशीला
5. सुनिल
6. अनिला पुत्रीयान ख्यालीराम जातियान जाट निवासीयान नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0।

:– वादीगण

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान।

:– असल प्रतिवादी

2. मतादीन
3. जैतराम पुत्रान श्री छीतर
4. छीपक पुत्र श्री बलबीर पौत्र रामकिशोर
5. ब्रह्या देवी पत्नि बलबीर
6. बिमला पत्नि जलेसिंह
7. कमल पुत्र श्री जलेसिंह पौत्र रामकिशोर
8. राजेश
9. दीपक पुत्रान श्री होशियार
10. रतिराम पुत्र श्री चिरंजीलाल
11. धर्मपाल
12. राजपाल पुत्रान श्री हरिसिंह
13. धूंधा देवी पत्नि हरिसिंह जातियान जाट निवासीयान नंगली औझा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान।

–: तरप्रतिवादीगण

दावा इशतकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज– अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–वकील वादी श्री रणवीरसिंह एवं श्री धर्मेन्द्र यादव वकील प्रतिवादीगण।

–:पर्चा डिक्री:–

वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने पर वादीगण की हाल आराजी खसरा नम्बर 825 रकबा 0.59 हैक0 वाके ग्राम नंगली औझा के हाल राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे अंकन

सहायक कलक्टर (का0द्वि0)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

"ख्याली पुत्र चेतराम जाट एवं अ.विव. छितर पुत्र मोहन जाट सा.देह शिकमी साल 17/2 को कलमजन किया जाकर वादीगण को सम्भाग खातेदार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक **15.10.2025** को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सृष्टि जैन)
सहायक कलक्टर मुण्डावर
(खैरथल–तिजारा)

सहायक कलक्टर (फा०टै०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)